



GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार  
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय  
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No.PC-VI/256  
No.PC-V/2009/A/DA/1

RBE No.54/2011  
New Delhi, dated 26/04-2011

The General Managers/ CAO(R),  
All Indian Railways & PUs  
(As per standard mailing list)

Sub:-Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01-01-2011 to the Railway employees continuing to draw their pay in the pre-revised scale as per 5<sup>th</sup> CPC.

In continuation of Ministry of Railway's letter of even Number dated 03-02-2011, (PC-VI/247, RBE No.17/2011) revising rates of Dearness Allowance w.e.f. 01-01-2010 and 01-07-2010 in respect of Railway Servants who continue to draw their pay and emoluments in the pre-revised scales of pay (5th CPC Scales), the rates of Dearness Allowance admissible to these categories of employees shall be enhanced from the existing rate of 103% to 115% w.e.f. 01-01-2011. All other conditions as laid down in the Board's letter dated 17-11-2008 (RBE No.179/2008) will continue to apply.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.
3. Hindi version is enclosed.

*[Authority: MoF's OM No.1 (3)/2008-EII (B), dated 31-03-2011]*

(N.P.Singh)

Dy. Director, Pay Commission - V  
Railway Board

No.PC-V/2009/A/DA/1

New Delhi, dated 26/04-2011

Copy (with 40 spares) forwarded to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), New Delhi.

for Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्र. सं. पी.सी. VI-256  
सं. पी.सी. V/2009/A/DA/1

आर.बी.ई. सं. 54 /2011  
दिनांक: 26-04-2011

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर)  
सभी भारतीय रेलें एवे उत्पादन इकाइयां इत्यादि  
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय:- पाँचवे वेतन आयोग के अनुसार संशोधन पूर्व वेतनमान में अपने  
वेतन का आहरण जारी रखने वाले रेल कर्मचारियों को  
01-01-2011 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

रेल मंत्रालय के दिनांक 03-02-2011 के समसंख्यक पत्र (पी. सी. VI/247,  
आरबीई सं. 17/2011) के क्रम में, रेल सेवक, जिन्होंने वेतन के संशोधन पूर्व  
वेतनमानों (5वें के.वे.आ. वेतनमान) में अपना वेतन और परिलब्धियों का  
आहरण जारी रखा है, के संबंध में 01-01-2010 और 01-07-2010 से महंगाई भत्ते  
की दरों को संशोधित करते हुए, इन कोटियों के कर्मचारियों को ग्राह्य महंगाई  
भत्ते की दरों को 01-01-2011 से मौजूदा 103% से 115% तक बढ़ा दिया  
जाएगा। बोर्ड के 17-11-2008 (RBE No. 179/2008) के उक्त पत्र में निर्धारित  
अन्य सभी शर्तें लागू रहेंगी।

2. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा  
है।



(एन.पी. सिंह)  
उप निदेशक, वेतन आयोग-V  
रेलवे बोर्ड